न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष एम.के. सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1505/I/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 12.12.2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल प्रकरण क्रमांक 840/2012–13 अपील

कुन्दन पुत्र श्री हल्का अहिरवार
निवासी–ग्राम पडरिया माफी तहसील व जिला बिदिशा (म.प्र.)

–– आवेदक

विरूद्ध

1– रूप सिंह पुत्र श्री हल्का अहिरवार
2– रूप सिंह पुत्र श्री केवल सिंह कुशवाह
निवासी–ग्राम पडरिया माफी तहसील व जिला बिदिशा (म.प्र.)

–– अनावेदकगण

श्री दिवाकर दीक्षित अभिभाषक आवेदक
श्री एल.एस. धाकड, श्री विनोद श्रीवास्तव अभिभाषक अनावेदक क्रमांक 1
श्री एस.के. वाजपेयी अभिभाषक अनावेदक क्रमांक 2

आदेश

(आज दिनांक 27.../01/2016)

यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल प्रकरण क्रमांक 840/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम पडरिया माफी तहसील विदिशा में स्थित भूमि खसरा नं. 18 मिन रकवा 0.220 है0, 27 रकवा 3.819 है0, 29 रकवा 0.972 है0, 61 रकवा 0.387 है0, 68 रकवा 0.230 है0 कुल किता 5 कुल रकवा 5.

708 है0 का खाता आवेदक व अनावेदक के पिता हल्का पुत्र गंगाराम का था। आवेदक एवं अनावेदक के पिता की मुत्यु के उपरान्त वसीयतनामा के आधार पर फौती नामान्तरण पंजी क्रमांक 1 पर दिनांक 20.05.1992 को राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया था। इस आदेश की प्रथम अपील अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी विदिशा के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी जो अवधि वाह्य थी ऐसी स्थिति में अपील परिसीमा अधिनियम की धारा 5 आवेदन पत्र पर खारिज की गयी। इसके पश्चात् अनावेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गयी जो आदेश दिनांक 12.12.2014 से स्वीकार की जाकर यह निर्देश दिये गये कि प्रश्नाधीन भूमि जो हल्का के नाम पर थी पर हल्का के स्थान पर फौती नामान्तरण के रूप में उसके वारिसान एवं आवेदक का नाम समान भाग पर अंकित करें। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओ पर उभय पक्षों के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि विवादित भूमि के संबंध में एक व्यवहार वाद क्रमांक 30ए/2013 अतिरिक्त व्यवहार न्यायधीश वर्ग–1 विदिशा के न्यायालय में उभय पक्षों के मध्य चला था। जिसमें विवादित भूमि के संबंध में कोई अधिकार अनावेदक का नहीं माना गया था इस प्रकार आवेदक की ओर से प्रस्तुत व्यवहार वाद दिनांक 15.07.2014 को स्वीकार किया गया था। इस तथ्य को अनावेदक के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में छुपाया गया है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिवत् नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है। व्यवहार न्यायालय का आदेश एवं डिक्री राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है।

आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह भी बताया है कि विचारण न्यायालय के आदेश की अनावेदक को विधिवत् जानकारी थी ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा परिसीमा के बिन्दु पर अपील को निरस्त किया है इस वैधानिक तथ्य पर विचार किये बिना तथा अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कषों में द्वितीय अपीली न्यायालय द्वारा बिना किसी कारण के हस्तक्षेप किया गया है ऐसी

स्थिति में द्वितीय अपीलीय न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अंत में उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने एवं अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल का आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5– अनावेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह बताया कि अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा वर्तमान प्रकरण में जो आदेश पारित किया गया है वह विधिवत् एवं सही है ऐसी स्थिति में उक्त आदेश स्थिर रखा जाये। साथ ही साथ यह बताया गया कि व्यवहार न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील विचाराधीन है ऐसी स्थिति में व्यवहार न्यायालय का आदेश प्रभावशील नहीं होगा जहॉ तक अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का प्रश्न है तो वह विधिवत् नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है अंत में उनके द्वारा वर्तमान निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6– प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषकों के तर्को का मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्म अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा वसीयतनामा के आधार पर फौती नामान्तरण व बंटवारा नामान्तरण पंजी क्रमांक 1 पर दिनांक 20.05.1992 को राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया है उक्त आदेश की विधिवत् जानकारी अनावेदक को रही है। क्योंकि नामान्तरण पंजी पर अनावेदक रूप सिंह के हस्ताक्षर बने हुये है ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के आदेश की अनावेदक को तद्समय जानकारी थी। इसलिये उसके द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्टतः अवधि बाह्य थी इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी बिदिशा द्वारा जो आदेश दिनांक 04.07.2013 को पारित किया गया है वह अपने स्थान पर उचित है। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल को की गयी थी जिसमें यह प्रश्न विवादित था कि परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत जो आदेश पारित किया गया है वह अपने स्थान पर उचित है अथवा नहीं। इस तथ्य पर विचार किये बिना अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण में आदेश गुण दोषों पर आदेश पारित किया गया है जो विधिवत् एवं सही नहीं है ऐसी स्थिति में उक्त आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। उक्त प्रकरण में अतिरिक्त व्यवहार न्यायधीश वर्ग–1

बिदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 30ए/2013 पारित आदेश दिनांक 15.07.2014 पारित किया गया है जिसके अनुसार आवेदक वादी का दावा स्वीकार किया जाकर इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी है कि प्रतिवादी क्रमांक (रूप सिंह) अनावेदक ग्राम पडरिया माफी तहसील व जिला बिदिशा प.ह.न. 69 आराजी क्रमांक 27/2 रकवा 1.949 है0 व आराजी क्रमांक 61 रकवा 0.387 है0 भूमि पर वादी आवेदक कुन्दन सिंह के अधिपत्य में कोई हस्तक्षेप न करें और न किसी से कराये। वर्तमान डिक्री एवं आदेश आज प्रभावशील है व्यवहार न्यायालय का आदेश एवं डिक्री राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है। ऐसी स्थिति में जो आदेश अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित किया गया है वह विधिवत् एवं सही नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल पारित आदेश दिनांक 12.12.2014 विधिवत एवं औचित्य पूर्ण नहीं होने से निरस्त किया जाता है तथा उनके आदेश के पालन में तहसीलदार द्वारा की गयी समस्त कार्यवाही अपास्त की जाकर अनुविभागीय अधिकारी बिदिशा द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.07.2013 स्थिर रखे जाने के आदेश दिये जाते है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर